(वाद सं0– 4877/4/26/2022)

02.05.2023

परिवादी, बीनारायण राय, उपस्थित है।

परिवादी व उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला परिवादी के 05 पुत्रों में से 04 पुत्रों द्वारा परिवादी की संयुक्त परिवार की संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा कर लेने तथा परिवादी व उसके एक पुत्र, सुबोध राय, को उस संपत्ति से बेदखल करने की सूचना थाना को दिये जाने के बाद भी पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं किये जाने से सम्बन्धित है।

उपरोक्त पर **वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित **सहायक पुलिस अधीक्षक, दानापुर, पटना** तथा **थानाध्यक्ष नेऊरा (ओ0पी0), पटना** के प्रतिवेदनानुसार, परिवादी को 05 पुत्र है। परिवादी को कुल जमा खेती का जमीन करीब 10 बीघा है। प्रतिवेदनानुसार, परिवादी के एक पुत्र, सुबोध राय, को छोड़कर, शेष चार पुत्रों द्वारा परिवादी की पुरी संयुक्त परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है तथा वह परिवादी व उसके एक पुत्र, सुबोध राय, को जमीन–जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहे हैं। प्रतिवेदनानुसार, प्रसंगाधीन मामला भूमि विवाद से सम्बन्धित है। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि परिवादी द्वारा इस सम्बन्ध में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, दानापुर के समक्ष भी आवेदन दिया गया था, जिसपर उसे सक्षम सिविल न्यायालय से वांछित अनुतोष प्राप्त करने हेतु परामर्श देकर मामले को संचिकास्त कर दिया गया। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित किया गया है कि परिवादी के विपक्षी (04 पुत्रों) के विरूद्ध द0प्र0स0 की धारा–107 के अन्तर्गत

निरोधात्मक कार्रवाई हेतु एक प्रतिवेदन नेऊरा (ओ0पी0) द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर को समर्पित किया जा चुका है।

आज राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित परिवादी का कथन है कि उसके पुत्र, सुबोध राय, द्वारा संयुक्त परिवार की संपत्ति के बँटवारा को लेकर एक टाइटिल सूट संख्या–437/16 दानापुर स्थित सक्षम सिविल न्यायालय में दाखिल किया गया है, जो वर्तमान में विचारण हेतु लंबित है।

अब जबकि प्रसंगाधीन मामला प्रथम दृष्टतया भूमि विवाद प्रतीत होता है तथा इस विवाद को लेकर एक सिविल मामला सक्षम न्यायालय, दानापुर में लंबित है तो ऐसी परिस्थिति में परिवादी को सलाह दी जाती है कि सक्षम सिविल न्यायालय में विधिनुसार याचिका दाखिल कर वांछित अनुतोष हेतु याचना कर सकते है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से अनुरोध है कि स्थल पर विधि–व्यवस्था बहाल रखने हेतु संबंधित थाना को आवश्यक निर्देश दिया जाय।

उपरोक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को भेजते हुए उसकी एक प्रति सूचनार्थ (वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के प्रतिवेदन पृष्ठ 07–05/प0 की प्रति संलग्न कर) परिवादी को भी उपलब्ध करा दी जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

निबंधक